न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 23/ 2016 वर्ष 2016

बउनवानी:–1. मोहम्मद अनीस पुत्र श्री ईसाक जाति मुसलमान निवासी बौंली तह. बौंली
2. मोहम्मद इरफान पुत्र श्री ईसाक जाति मुसलमान निवासी बौंली तह. बौंली
3. सलीम पुत्र श्री ईसाक जाति मुसलमान निवासी बौंली तह. बौंली

बनाम

1. मंजूर आलम पुत्र अब्दुल हाफिज जाति मुसलमान निवासी बौंली, तह0 बौंली
2. अंसार खां पुत्र अब्दुल हाफिज जाति मुसलमान निवासी बौंली
3. सरपंच, ग्राम पंचायत बौंली , पंचायत समिति बौंली, तहसील बौंली
4. प्रशासन स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति बौंली जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व प्रकरण संख्या 1/2014 आदेश दिनांक 29.8.2016 न्यायालय प्रशासन स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति बौंली के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री हरिमोहन जाट वकील निगरानीकार
2. श्री आबिद अली वकील अप्रार्थी संख्या,1,2

–: निर्णय :– दिनांक 17.10.2017

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रशासन स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति बौंली की मिसल संख्या 1/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 29.8.2016 से सरपंच ग्राम पंचायत बौंली की मिसल संख्या 75 मे जारी पटटा संख्या 35 दिनांक 5.12.2005 को निरस्त किया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त दिनांक 29.8.2016 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील अभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने सुनवायी कथन किया कि निगरानीकार के पक्ष में ग्राम पंचायत बौंली द्वारा दिनांक 5.12.2005 को एक आवासीय पटटा विधिवत जारी किया है जिसमे निगरानीकार द्वारा आवासी भूमि की कीमत 3672/– जरिये रसीद संख्या 2206 जमा करवाकर कब्जा प्राप्त किया है तथा निगरानीकार द्वारा उक्त पटटे की भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। यह कथन भी किया कि अप्रार्थीगण राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है एवं निगरानीकार से रंजिस रखते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता ने पटटा जारी होने के 10 साल पश्चात निराधार तथ्यों के आधारों पर निगरानीकार के पक्ष मे जारी पटटे के विरूद्व योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं विधि के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर पटटा निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। यह कथन भी किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमे देरी का कोई स्पष्ट कारण नही दिया गया है ओर ना ही निर्णय मे देरी से पेश अपील को किस प्रकार सुनवायी योग्य माना है अंकित नही किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलान्ट जब योग्य अधीनस्थ न्यायालय मे सर्वप्रथम उपस्थित हुऐ तब अपील के प्रारूप पर पूर्व मे अंकित कर रखा था कि अपील स्वीकार कर स्थगन जारी हो। निगरानीकार ने जब अपना जवाब प्रस्तुत करने लगे तो विकास अधिकारी बौंली ने स्पष्ट रूप से कहा कि अध्यक्ष महोदय अपील स्वीकार कर पटटा निरस्त करने का मन बना चुके है। यह कथन भी किया कि निगरानीकार ने विकास अधिकारी बौंली द्वारा किये गये कथनों के आधार पर श्रीमान के न्यायालय मे राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत योग्य अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब कर

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उचित आदेश प्रदान करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर आदरणीय न्यायालय द्वारा पटटा संख्या 35 दिनांक 5.12.2005 से संबंधित पत्रावली तलबी हेतु तलबी पत्र क्रमांक 2865 दिनांक 13.6.2016 जारी कर पत्रावली तलब की परन्तु पत्रावली आदरणीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने के बजाय बिना निगरानीकार को सुनवायी का अवसर दिये ही पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब किये बिना ही दिनांक 12.3.2014 को स्थगन आदेश दे दिया एवं यह भी अंकित किया कि अपील स्वीकार है ,जबकि ग्राम पंचायत बौंली की पत्रावली दिनांक 4.12.2014 को तलब हुई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त निर्णय राजनैतिक प्रभाव मे दिया गया है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 19.6.2016 को मौका देखना अंकित किया है जिससे यह माना गया है कि मौके पर कुछ ही जगह पर मकान बने हुए है शेष जगह खाली है अर्थात निगरानीकार का कब्जा एवं निर्माण विवादित स्थल पर है फिर भी 10 साल बाद पेश की गयी अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहम भूल की है। जबकि अपीलान्ट पक्का मकान बनाकर वर्षो से रह रहे है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 167(1) का विवेचन गलत रूप से किया है। यह कथन भी किया कि भूमि विक्रय की कीमत निर्धारण का ग्राम पंचायत का पूर्ण अधिकार है एवं इसी आधार पर पटटा निरस्त नही किया जा सकता है। यह कथन भी किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस आदरणीय न्यायालय की पत्रावली तलबी के आदेश की अवहेलना कर विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित कर अहम भूल की है। यह कथन भी किया कि अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलान्ट अब्दुल हाफिज का निधन हे गया था एवं स्व0 हाफिज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही अब्दुल हाफिज के नाम निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया उक्त प्रशासन स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति बौंली के निर्णय दिनांक 29.8.2016 के अनुसार अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.8.2016 को निरस्त करने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति बौंली द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है क्योकि ग्राम पंचायत बौंली का निर्णय तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने के कारण उक्त निर्णय द्वारा निरस्त किया है जो विधिसम्मत है। यह कथन भी किया कि ग्राम पंचायत बौंली ने निर्णय करने से पूर्व इस तथ्य की जानकारी नही की कि उक्त भूमि के बारे में निगरानीकार के पास क्या–क्या दस्तावेज है ओर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कब्जे एवं मालिकाना हक होने बाबत कोई तथ्य पेश नही किये है तथा निगरानीकार ग्राम बौंली के निवासी नही है इनका कोई राशनकार्ड मतदाता पहचान पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्ताावेज भी नही है क्योकि निगरानीकर्ताओं के पिता ईशाक 50–60 वर्षो से अपने सुसराल ग्राम पीपलवाडा मे घर जंवाई की हैसियत से निवास कर रह है बौंली से इस परिवार का कोई वास्ता नही है तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली 2014 विधान सभा क्षेत्र बामनवास 91 मतदान केन्द्र संख्या 203 पीपलवाडा ग्राम में क्रम संख्या 621 पर सलीम, 624 पर अनीस एवं 626 पर इरफान पुत्र ईशाक नाम दर्ज है। यह कथन भी किया मौके पर हम अप्रार्थीगण का ही कब्जा है जिसकी चार दिवारी हो रही है केवल दक्षिणी भाग पर एक घर सलीम को बनाने के लिए जगह दी थी एवं 62x45 फीट पर हमारा कब्जा है तथा निगरानीकार का कोई कब्जा नही है। उक्त विवादित भूमि पर दोनो तरफ हमारे पुख्ता मकान बने हुए है। यह कथन भी किया कि ग्राम पंचायत बौंली ने कभी भी मौके पर जाकर मौका नही देखा है तथा मौका रिपोर्ट भी वस्तुस्थिति के विपरीत है। यदि ग्राम पंचायत मौका देखने मौके पर आती है तो सही वस्तु स्थिति रिपोर्ट मे दर्ज होती जबकि मौका रिपोर्ट में उत्तर दिशा मे वहीद खां अंसारी का मकान दिखाया है जो मौके पर नही है व दक्षिण दिशा में है इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा गुपचुप तरीके से मिली भगत से निर्णय किया गया है उक्त निर्णय मजमे आम मे नही किया गया है जो पंचायत समिति बौंली के उक्त निर्णय द्वारा खारिज किया है जो विधि सम्मत है। यह कथन भी किया कि निगरानीकर्ता ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश बौंली में विपक्षीगण के विरूद्व एक दिवानी वाद भी इस सम्पत्ति बाबत प्रस्तुत कर रखा है जिसमे उसके द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.4.2017 को निरस्त किया जा चुका है ओर उसके विरूद्व निगरानीकर्ता ने अपील जिला जजी सवाईमाधोपुर में पेश कर रखा है। यह कथन भी किया कि पंचायत समिति की मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से समस्त मेम्बरान ने मौके पर जाकर लिखित रिपोर्ट तैयार की है जिसमे गेर

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निगरानी गुजार मंजूर आलम व उसके परिवारजन का 66x45 फुट का कब्जा दर्शाया गया है जिसकी लिखित रिपोर्ट व नक्शे की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमे प्रधान पंचायत समिति कमला मीना एवं समस्त सदस्यगण पिंकी मीना, शिमला देवी, निर्मला जैन व अन्य सदस्यं व मौके पर उपस्थित सदस्यों के दस्तखत है जिसमे स्पष्ट रूप से विपक्षी का पुख्ता कब्जाशुदा भूमि पर सात फिट उंची पुख्ता दीवार तथा अन्दर की ओर से पूर्व पश्चिमी 17 फिट व उत्तर दक्षिण 66 फिट नींव भरा होना दर्शाया गया है तथा अन्य सामान मलवा लकडी व खेती का कचरा पडा है जो इस तथ्य को साबित करता है कि पुरानी मिल्कियत की भूमि को पंचायत द्वारा विक्रय करने का वैसे भी कोई अधिकार नही है। यह कथन भी किया कि निगरानीगुजार का भौतिक कब्जा एवं दरवाजा उत्तर की ओर दर्शाया है जबकि निगरानी गुजार का उत्तर दक्षिण 32 फिट एवं पूर्व पश्चिमी 45 फिट भूमि पर कब्जा बताया है तथा उसका दरवाजा दक्षिण की ओर बताया है। यह कथन भी किया कि जो चार दिवारी मंजूर आलम ने बना रखी है वह अन्दर 66x45 में पुख्ता नीव भरी है वह भी रिपोर्ट में दर्शाई है इस तरह मौके की स्थिति से भिन्न फैसला पंचायत का होने के कारण पंचायत समिति ने निरस्त किया है जो कानूनी व मौके की स्थिति के मुताबिक स्पष्ट व सही है। ऐसी स्थिति मे निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है ।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रशासन स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति बौंली के समक्ष दिनांक 18.7.2014 को प्रस्तुत अपील में प्रधान पंचायत समिति बौंली द्वारा अंकित टिप्पणी "अपील स्वीकार कर स्थगन आदेश जारी करना "अंकित किया है इसके अतिरिक्त उक्त अपील की सुनवायी अन्य दीगर समकक्ष न्यायालय मे करवाने बाबत निगरानी गुजरान द्वारा इस न्यायालय में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी तलब की गयी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नही भिजवाई एवं उक्त विवादित अपील का निर्णय पारित कर दिया जिससे वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत कथन कि निगरानीकार को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है की पुष्टि हो जाती है। इसके विपरीत वकील अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत कथन के समर्थन मे ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती हो। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत होने की श्रेणी नही आता है। ऐसी स्थिति में निगरानी गुजरान द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप निगरानी गुजारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(के0सी0 वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर